



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232659  
CG-DL-E-15012022-232659

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]  
No. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

संचार मंत्रालय  
(डाक विभाग)  
(डाक जीवन बीमा निदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

फा. सं. 04-02/2019-एलआई—डाकघर जीवन बीमा नियमावली (2011) के नियम 03 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा निधि की परिसंपत्तियों व देयताओं के बीमांकक मूल्यन (आरपीओलआईएफ) के 31.03.2021के आधार पर, महानिदेशक (डाक), ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण उनके दावे बनने पर निम्नलिखित दरों पर साधारण प्रत्यावर्तनीय बोनस की घोषणा करते हैं :-

	बीमा पॉलीसी का प्रकार	बोनस की दर
i.	आजीवन बीमा (डब्ल्यूएलए)	रु. 60/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
ii.	सावधि बीमा (ईए) (बाल पालिसियों सहित)	रु. 48/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
iii.	प्रत्याशित सावधि बीमा (ईईए) (ग्राम प्रिय पालिसियों सहित)	रु. 45/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
iv.	परिवर्तनीय आजीवन बीमा	आजीवन बीमा बोनस की दरें लागू होंगी किंतु परिवर्तन के पश्चात् सावधि बीमा के बोनस की दरें लागू होंगी।
v.	अंतिम बोनस	20 वर्ष और उससे अधिक अवधि की आजीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि बीमा पालिसियों पर रु. 20/- प्रति दस हजार रु. बीमित राशि की दर से, अधिकतम रु. 1000/- प्रति पालिसी।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23के लिए बोनस कीउपरोक्त दरें तारीख 01.04.2022 से लागू होंगी।
3. उल्लिखित अंतरिम बोनस की दरें भविष्य का मूल्यन पूरा होने तक परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण किए जाने वाले सभी दावों के लिए भी देय होंगी।
4. बोनस में सम्मलित 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश की गणना न की जाए।

अंजू निगम, मुख्य महाप्रबंधक (पीएलआई), अपर सचिव

**Ministry of Communications**  
**(Department of Posts)**  
(Directorate of Postal Life Insurance)  
**NOTIFICATION**  
New Delhi, the 14th January, 2022

**F. No. 04-02/2019-LI**—In exercise of powers conferred vide Rule 3 of Post Office Life Insurance Rules (2011) and on the basis of Actuarial Valuation of the assets and liabilities of Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF) as on 31.03.2021, the Director General (Posts) is pleased to declare a simple Reversionary Bonus on the Rural Postal Life Insurance Policies on their becoming claims, due to death or maturity at the following rates :-

<b>Type of Insurance Policy</b>	<b>Rate of Bonus</b>
i. Whole Life Assurance (WLA)	Rs. 60/- per thousand of sum assured
ii. Endowment Assurance (EA) (including children policy)	Rs. 48/- per thousand of sum assured
iii. Anticipated Endowment Assurance (AEA) (including GP policies)	Rs. 45/- per thousand of sum assured
iv. Convertible Whole Life Assurance	Whole Life Bonus rate would be applicable, but on conversion, Endowment Assurance bonus rate will be applicable.
v. Terminal Bonus	Rs. 20/- per sum assured of Rs. 10,000/-, subject to maximum of Rs.1000 for Whole Life Assurance and Endowment Assurance policies with term of 20 years or more.

2. The rates of Bonus mentioned above for the Financial Year 2022-23 will be applicable from 01.04.2022.
3. Interim Bonus at the rates mentioned above will also be payable for all claims arising due to maturity or death until future valuation is completed.
4. The amount of Bonus involving a fraction of 50 paise or more shall be rounded off to the next higher Rupee and fraction below 50 paise shall be ignored.

ANJU NIGAM, Chief General Manager (PLI), Addl. Secy.